



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052022-236094
CG-DL-E-28052022-236094

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2281]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944

No. 2281]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISHTHA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

का.आ. 2402(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2482(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां नामतः-

"58	[जोशीमठ (जोशीमठ बाइपास सहित) – माणा गांव खंड] (उत्तराखंड राज्य में)	किमी 468.00 से किमी 528.00
-----	--	----------------------------

क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः-

"7	[जोशीमठ (जोशीमठ बाइपास सहित) – माणा पास (भारत – चीन सीमा खंड) (उत्तराखंड राज्य में)]	किमी 468.00 से किमी 580.600
----	---	-----------------------------

[फा.सं. एनएच -14013/4/2022-पी ऍड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ.2482(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th May, 2022

S.O. 2402(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2482 (E), dated the 4th August, 2017, namely:-

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:-

“58	[Joshimath (including Joshimath bypass)- Mana Village Section] (In the state of Uttarakhand)	Km 468.00 to Km 528.00
-----	---	------------------------

the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:-

“7	[Joshimath (including Joshimath bypass)- Mana Pass (Indo- China border Section] (In the state of Uttarakhand)	Km 468.00 to Km 580.600
----	--	-------------------------

[F. No. NH-14013/4/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 2482 (E), dated the 4th August, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

का.आ. 2403(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश प्रविष्टि में खंडों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	विस्तार किमी में
(1)	(2)	(3)
134ए	(भैरोघाटी – नेलोंग – नागा – अंगार – पीडीए – मेडीके खंड) (उत्तराखंड राज्य में)	किमी 0.00 से किमी 70.000
107बी	(जोशीमठ – मलारी खंड) (उत्तराखंड राज्य में)	किमी 0.00 से किमी 63.200

[फा. सं. एनएच-14013/4/2022-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2022

S.O. 2403(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the Border Roads Organization under Border Road Development Board shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

National Highway number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
134A	(Bhairoghati- Nelong- Naga- Angar- PDA- Medikay Section) (In the State of Uttarakhand)	Km 0.00 to Km 70.000
107B	(Joshimath- Malari Section) (In the State of Uttarakhand)	Km 0.00 to Km 63.200

[F. No. NH-14013/4/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director